विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को पुर:स्थापित किये गये रूप में .

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१४

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, २०१४

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा ६ का संशोधन.

३. धारा ३३ का स्थापन.

४. धारा ४१ का संशोधन.

५. धारा ५३ का स्थापन.

६. धारा ५४ का संशोधन.

७. धारा ५९ का संशोधन.

८. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१४

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, २०१४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

धारा ६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ६ में, उपधारा (३) में, अंत में आने वाले पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परंतु यदि उपधारा (२) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से विहित कालावधि के भीतर निरीक्षक द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाता है तो सम्यक् रूप से पंजीयन कर दिया गया समझा जाएगा.''.

धारा ३३ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

आग तथा परिसंकटों से बचाव के लिए पूर्वोपाय.

''३३. ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी को छोड़कर, जो कि विहित की जाए, प्रत्येक स्थापना में आग से बचाव के लिए ऐसे पूर्वोपाय तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अध्युपाय किए जाएंगे जैसे कि विहित किए जाएं.''.

धारा ४१ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

''(३) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी निरीक्षक श्रम आयुक्त या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय किसी ऐसी स्थापना में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जहां कि दस से कम कर्मचारी नियोजित हैं.''.

धारा ५३ का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अपराध का समझौता.

''५३. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम बार या पूर्व के अपराध के (यदि कोई हो), कारित किए जाने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् कारित किसी अपराध का या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात्, समझौता शुल्क के रूप में उतनी धन राशि, जो जुर्माने की अधिकतम धन राशि से अधिक न हो परन्तु जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे से कम न हो, जितनी कि वह उचित समझे, वसूल करने के पश्चात्, समझौता करा सकेगा; जब अपराध का समझौता—

(एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, कराया जाता है तो अपराधी अभियोजन का दायी नहीं होगा और यदि अभिरक्षा में है तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् कराया जाता है तो समझौते से अपराधी दोषमुक्त हो जाएगा.''.

धारा ५४ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, अंत में आने वाले पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''परंतु सरकार, आदेश द्वारा, ऊपर विहित प्ररूपों के बदले पंजियों तथा अभिलेखों को रखने के लिये समेकित प्ररूप बना सकेगी या अधिसूचित कर सकेगी :

परंतु यह और कि सरकार पंजियों तथा अभिलेखों का कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल रूपविधान (फार्मेट) में संधारित किया जाना, अनुज्ञात कर सकेगी.''.

धारा ५९ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ५९ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ङ) में, शब्द ''आग से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी'' के स्थान पर ''आग तथा परिसंकटों से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी'' स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

८. (१) मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ७ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई, बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) की धारा ६ की उपधारा (३) में स्थापना के पंजीयन के लिए उपबंध अधिकथित है किंतु ऐसे पंजीयन को जारी किए जाने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं है और इसलिए ऐसे आवेदनों को संबंधित कार्यालय में अनिश्चित कालावधि के लिए हमेशा लंबित बनाए रखने की संभावनाएं बनी रहती है. ऐसी प्रक्रियात्मक कमी को दूर करने और पंजीयन प्रक्रिया में परिदर्शिता बनाए रखने के दृष्टि से एक परंतुक जोड़ा जाना प्रस्तावित है ताकि यदि आवेदन सभी दृष्टि से पूर्ण है तो अधिनियम के अधीन पंजीयन विहित समय-सीमा के भीतर प्रदान किया गया समझा जाएगा.

२. यह देखा गया है कि वर्तमान में, अधिनियम, दुकानों तथा स्थापनाओं में, विशेषत: मॉल तथा विभागीय भण्डारों (डिपार्टमेंटल स्टोर्स) में नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपबंध विहित नहीं करता है. अतएव, धारा ३३ में, कर्मचारियों के हित में ऐसे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अध्युपाय अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

३. यह भी प्रस्तावित है कि ऐसी दुकानों तथा स्थापनाओं का, जो कि १० से कम कर्मचारियों को नियोजित कर रही हैं, श्रम आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा सकेगा. यह उपबंध छोटी स्थापनाओं को बारंबार तथा अनावश्यक निरीक्षणों से बचाएंगे तथा निरीक्षणकर्ता कर्मचारीवृन्द के बीच पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता करेंगे. अत:, धारा ४१ में नवीन उपधारा (३) जोड़ा जाना प्रस्तावित है.

४. उपबंधों के भंग का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों के समझौते के लिए उपबंध भी प्रस्तावित किए गए हैं. समझौते के लिए ऐसे किसी सामान्य उपबंध के अभाव के कारण विभिन्न न्यायालयों में, बड़ी संख्या में अभियोजन के प्रकरण लंबित हैं जो कि शासकीय मशीनरी, साथ ही नियोजक के बहुमूल्य समय की खपत का कारण बनते हैं.

५. इसी प्रकार सभी ऐसी स्थापनाओं को, उन्हें यथा प्रयोज्य विभिन्न श्रम विधियों के अधीन उपस्थिति, भुगतान, अतिकाल आदि की बहुत सी पंजियां रखनी होती हैं. उन्हें प्रतिवर्ष समुचित प्राधिकारियों के समक्ष बहुत सी विवरणियां भी फाइल करनी होती हैं. ऐसे उपबंधों से प्रक्रियात्मक जटिलताएं होती हैं तथा एक ही कार्य को दो बार करना पड़ता है और स्थापनाओं के नियामक प्राधिकरणों से शोषण का खतरा सदैव बना रहता है. ऐसी प्रक्रियात्मक जटिलताओं तथा कार्य के अनावश्यक दोहराव को कम करने की दृष्टि से, और

उसके द्वारा नियोजक को नियामक प्राधिकरणों के शोषण से बचाने के लिए धारा ५४ में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. नियोजकों के लिए कागज रहित तथा पर्यावरण हितैषी उपबंध भी प्रस्तावित है. अत: नियोजकों को एकीकृत पंजियां तथा अभिलेख रखने की आवश्यकता है, वह भी इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रूप में, जिसमें कि कम जनशक्ति की आवश्यकता होती है तथा विभिन्न जानकारियों की एक स्थान पर अभिलेखों के एक या दो रूपों में उपलब्धता सुनिश्चित होती है.

६. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश २०१४ (क्रमांक ७ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान सभा का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

७. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख ५ दिसम्बर, २०१४.

अंतर सिंह आर्य
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, २०१४ के निम्नांकित खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड १ (२) : अधिनियम को प्रभावशील किए जाने की तिथि अधिसूचित किए जाने;

खण्ड २ : आवेदन प्रस्तुत करने की कालावधि नियत करने;

खण्ड ३ : आग से बचाव के लिए पूर्वोपाय तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी अध्युपाय सुनिश्चित किए जाने, तथा

खण्ड ५ : पंजियों एवं अभिलेखों को समेकित, कम्प्यूटरीकृत करने एवं इस निमित्त अधिकारी को प्राधिकृत किए जाने के संबंध में नियम बनाए जाएंगे. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

१. अधिनियम के अधीन पंजीयन विहित समय-सीमा के भीतर प्रदान करने, कर्मचारियों के हित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था करने, १० से कम कर्मचारियों को नियोजित करने वाली स्थापनाओं में निरीक्षण नहीं करने अपराधों के समझौता करने, एकीकृत पंजीया तथा अभिलेख रखने तथा इलेक्ट्रानिक तथा डिजीटल रूप में अभिलेख रखने के उद्देश्य से यह अध्यादेश पारित किया गया था.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ७ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान सभा का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) से उद्धरण.

* * * * *

धारा ६ **स्थापनाओं का पंजीयन.**— (१) प्रत्येक स्थापना का, जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, इस धारा के उपबंधों के अनुसार पंजीयन किया जाएगा.

(२) इस अधिनियम के किसी स्थापना पर लागू होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसका नियोजक, सम्बन्धित क्षेत्र के निरीक्षक के पास ऐसी फीस के साथ, जैसी कि विहित की जाय, निहित प्ररूप में एक विवरण भेजेगा जिसमें निम्नलिखित बातें रहेंगी—

(क) नियोजक, प्रबंधक तथा प्रबंध सम्बन्धी पद धारण करने वाले व्यक्ति का, यदि कोई हो, नाम;

(ख) स्थापना का डाक का पता और स्थापना द्वारा कारोबार प्रारंभ किये जाने की दिनांक;

(ग) स्थापना का नाम, यदि कोई हो,

(घ) स्थापना का प्रवर्ग, अर्थात् क्या वह दुकान, वाणिज्य स्थापना, निवासयुक्त होटल, उपाहार-गृह, भोजन-गृह, नाट्यशाला अथवा सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन का अन्य स्थान है, और

(ङ) ऐसे अन्य ब्यौरे जो विहित किए जावें.

(३) विवरण और फीस के प्राप्त होने पर निरीक्षक, विवरण की यथार्थता के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर स्थापनाओं की पंजी में उस स्थापना को ऐसी रीति में विहित की जाए, पंजीयत करेगा और नियोजक को पंजीयन प्रमाण-पत्र विहित प्ररूप में जारी करेगा, पंजीयन प्रमाण-पत्र स्थापना में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा.

(४) उस प्रवर्ग के संबंध में जिसमें किसी स्थापना को होना चाहिए किसी नियोजक और निरीक्षक के बीच भी संदेह या मतभेद होने की दशा में निरीक्षक मामले को श्रम आयुक्त के पास व्यवस्था हेतु प्रेषित करेगा जो ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, ऐसी स्थापना के प्रवर्ग का निर्णय करेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

(५) शासन ऐसी अन्तरावधियां पर, जो [पांच वर्ष] कम न होगी और ऐसी फीस के भुगतान पर, जैसा कि विहित किया जाए, इस धारा के अधीन जारी किए गए पंजीयन प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण की अधिसूचना द्वारा, अपेक्षा कर सकेगा.

(६) पंजीयन की फीस तथा नवीनीकरण की फीस प्रति स्थापना [दो सौ पचास रुपये] अधिक न होगी.

* * * *

धारा ३३ **आग से बचाव के लिए पूर्वोपाय.**— ऐसी स्थापना या स्थापना की किसी श्रेणी के अतिरिक्त जैसी कि विहित की जाए प्रत्येक स्थापना से आगे से बचाव के लिये ऐसे पूर्वोपाय किए जाएंगे जैसे कि विहित किये जाएं.

* * * *

धारा ४१ **निरीक्षकों की शक्तियां तथा कर्तव्य.**— (१) शासन द्वारा इस संबंध में बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए निरीक्षक उन स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिनके लिये वह नियुक्त किया गया हो—

(क) समस्त उचित समयों पर तथा ऐसे सहायकों सहित, यदि कोई हो, जो शासन की अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, जैसे कि वह उचित समझे, किसी भी स्थान में जो स्थापना हो, या जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह स्थापना है, प्रवेश कर सकेगा;

* * * *

धारा ५३ **अपराध का प्रशमन.**—(१) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, श्रम आयुक्त या कोई ऐसा अधिकारी जो श्रम अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, और जिसे श्रम आयुक्त ने अधिसूचना द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किया हो, इस अधिनियम के आधीन कार्यावाहियों को संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात् धारा ४४, ४५ या ४६ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को अपराध का शमन करने की अनुज्ञा उसके द्वारा ऐसी धनराशि का जो पचास रुपये के कम की न हो, भुगतान करने पर दे सकेगा.

(२) ऐसी धनराशि का जैसी कि श्रम आयुक्त द्वारा या उपधारा (1) के अधीन श्रम आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित की जाए, पूर्ण संदाय कर दिया जाने पर—

(क) यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाहियां प्रारंभ नहीं की जाएंगी, और

(ख) यदि पूर्वोक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाहियां प्रारम्भ की जा चुकी हों तो ऐसी कार्यवाहियां और आगे नहीं चलाई जाएंगी.]

धारा ५४ **पंजियों तथा अभिलेखों का रखा जाना और सूचनाओं का प्रदर्शन.**—शासन के सामान्य या किन्हीं विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए नियोजक ऐसी पंजियों तथा अभिलेखों को रखेगा या, प्रधान अधिनियम, की धारा ५३ की उपधारा के लिये, निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, रखवाएगा और स्थापना में ऐसी सूचनाओं का प्रदर्शन करेगा जैसी कि विहित की जाए. ऐसी समस्त पंजियों तथा अभिलेख उस स्थापना के परिसरों में रखे जाएंगे जिससे कि वे संबंधित हों.

* * * *

धारा ५९ **नियम.**—(१) शासन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा.

(२) विशेषतः तथा पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के लिए बनाए जा सकेंगे, अर्थात्—

(क) (एक) धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन निरीक्षक को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण का प्ररूप और फीस तथा अन्य ब्यौरे जो ऐसे विवरण के साथ दिए जावेंगे;

(दो) धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन स्थापनाओं के पंजी में स्थापनाओं के पंजीयन को रीति तथा प्ररूप जिसमें नियोजक को पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा;

(तीन) धारा ६ की उपधारा (५) के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए शुल्क नियत किया जाना;

(ख) प्ररूप, जिसमें धारा ७ के अधीन निरीक्षक को परिवर्तन करने की सूचना दी जाएगी;

(ग) धारा ११ में उपधारा (३) के अधीन और अधिक समय (ओवर टाईम) तक कार्य करने को लिये वर्ष ६ दिन नियत किया जाना और उसके लिए अवसर नियत किया जाना;

(घ) उस पंजी का प्ररूप जो धारा २६ के अधीन अवकाश देने से इंकार करने की प्रविष्टि के लिए रखा जाएगा;

(ङ) धारा ३१ के अधीन स्थापनाओं की सफाई के लिए समय और पद्धतियां नियत किया जाना; धारा ३२ के अधीन संचालन के प्रमाण तथा पद्धतियों का निश्चित किया जाना तथा ऐसी स्थापनाओं का विहित किया जाना जो धारा ३३ के उपबंधों से मुक्त रखी जानी हो और उक्त धारा के अधीन आग से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी;

(च) धारा ३६ के अधीन शासन को प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक या नियतकालिक प्रविवरण;

(छ) धारा ४० के अधीन नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षकों की अर्हताएं तथा धारा ४१ के अधीन ऐसे निरीक्षकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियां;

(ज) धारा ५४ के अधीन रखी जाने वाली पंजी तथा अभिलेख और स्थापना के परिसरों में प्रदर्शित की जाने वाली सूचनाएं;

(झ) धारा ५५ की व्याख्या के खण्ड (ग) के अधीन कार्य के घण्टों की सीमा,

[(ण) यह प्राधिकारी जिसे और वह समय जिसके भीतर किसी नौकर द्वारा, जिसे पदच्युत या सेवोन्मुक्त किया गया है या जिसकी छंटनी की गई है, अपील फाईल की जा सकेगी,]

(ट) ऐसा अन्य कोई विषय जो विहित किया जाना हो या किया जा सके.

(३) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम पूर्व प्रकाशन के प्रतिबंध के अधीन होंगे और इस प्रकार बनाए जाने पर वे इस अधिनियम के भाग समझे जाएंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.